न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 46/2007
आरसीएमएस नं. 2007/00099

1. मु0 केशर देवी पत्नी
2. जगदीश पुत्र
3. शिशपाल पुत्र
4. मानसिह पुत्र
5. महेन्द्र पुत्र
6. सीताराम पुत्र
7. कान्ता देवी पुत्री
8. चमेली देवी पुत्री

स्व0 रामलाल जाति खाती निवासी हाल फतेहाबाद जिला फतेहाबाद (हरियाणा)

——अपीलार्थी

बनाम

1. मु0 चन्द्रावली पत्नी
2. रामस्वरूप पुत्र
3. भागीरथ पुत्र
4. हरदत्त पुत्र
5. रामकुमार पुत्र
6. रेशमा पुत्री
7. मीरा पुत्री
8. कमला पुत्री

मोहरू जाति खाती निवासी सरदारगढिया हाल सोनड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

9. रामजीलाल पुत्र श्री कुरड़ाराम जाति खाती निवासी सरदारगढिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
10. रामसुखपुत्र श्री कुरड़ाराम जाति खाती निवासी सरदारगढिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

—— रेस्पोडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट
विरूद्ध निर्णय दिनांक 05.06.2007 प्र
अनवान केसर देवी आदि बनाम चन्द्रावली आदि
द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:08:59 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

उपस्थितिः–

श्री महेश शर्मा, श्री सन्तलाल तिवाड़ी एंव श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1 ता 8
श्री हवा सिह पूनिया अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 9 व 10

निर्णय दिनांक 23.06.2022

1. अपील से संबंधित सुसंगत एवं संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा में इस्तकरार हक का एक वाद पेश हुआ जिसमें अपीलार्थीगण व उसके अधिवक्तागण के उपस्थित नहीं होने कारण एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश हुआ और दिनांक 17.05.2003 को उक्त वाद चन्द्रावली बनाम केसर में अपीलार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय निर्णय पारित हुआ जिसे अपास्त किये जाने हेतु अपीलार्थीगण ने आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र पेश किया। अपनी अनुपस्थिति का कारण बताते हुए एकपक्षीय डिक्री दिनांक 17.05.2003 को मन्सूख करने का अनुतोष मांगा। वकील रेस्पोडेण्ट प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए प्रार्थना–पत्र खारिज करने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.06.2007 के द्वारा प्रार्थीगण का आदेश 9 नियम 13 सीपीसी खारिज किया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 9 नियम 13 जा0 दी0 के प्रावधानों की अनदेखी की है और इस आधार पर प्रार्थना–पत्र खारिज किया है कि प्रार्थीगण ने जवाब दावा पेश किया है इसलिए उनका तारीख पेशी की जानकारी का ज्ञान होने का कथन सही नहीं है किन्तु विचारण न्यायलाय का उक्त निष्कर्ष युक्तियुक्त नहीं है जवाब दावा पेश होने से प्रार्थीगण को प्रत्येक पेशी की अवधारणा नहीं ली जा सकती। सिविल व रेवेन्यु केसेज में प्रत्येक पेशी पर पक्षकारों की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है इसलिए अधिवक्ता उन्हें प्रायः ऐसी हिदायत दे दते हैं कि आवश्यकता होने पर बुंलवा लेंगे और प्रार्थीगण को ऐसी ही हिदातय थी इसलिए उन्हें तारीख पेशी का ज्ञान नहीं था इसलिए वे उपस्थित नहीं हेा सके। इसलिए इस अनुपस्थित के उक्त कारण को उचित व पर्याप्त कारण न मानने में विचारण न्यायालय ने भूल की है। माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय विभिन्न न्यायालयों द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि अधिवक्ता द्वारा पेशी की सूचना न दिये जाने के कारण पक्षकार की अनुपस्थिति का पर्याप्त व उचित कारण है किन्तु विचारण न्यायालय ने ऐसा न मानकर भूल की है। मामले में बहुमूल्य कृषि भूमि के अधिकारों का निर्णय होना है और प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना उनके विरूद्ध निर्णय लेने से प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः अपील

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:08:59 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं प्रार्थना–पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी स्वीकार किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रतिवादीगण वाद में हाजिर थे जवाब दावा पेश करना स्वीकार करते हैं। जानबूझकर न्यायालय में नहीं आने के कारण इक तरफा कार्यवाही करते हुए निर्णय पारित किया गया है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एव पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अधीनस्थ न्यायालय में मूल वाद दिनांक 17.05.2003 को डिक्री किया गया। प्रकरण में अपीलाण्ट के विरूद्ध उपस्थित नहीं आने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई जिस पर अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र पेश किया जो खारिज किया गया है। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपना जवाब दावा आदि प्रस्तुत किये जिससे स्पष्ट है प्रार्थीगण वाद में उपस्थित थे और उन्हें प्रकरण के बारे में जानकारी थी। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने अपीलाण्ट का प्रार्थना–पत्र खारिज किया है। उसमें किसी प्रकार की विधि अनियमितता नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है उपखण्ड अधिकारी भादरा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.06.2007 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावें पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.6.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/6/22

(करतारसिंह पूनियां)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:08:59 IST
Reason: SelfAttested